


18⁰²/₂₅


पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान्
फैसलींग अधिकारी महोदय, जालावाड़ में.....

अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01⁰⁴/₂₅ को पेश हो।

01⁰⁴/₂₅

पत्रावली पेश हुई। आमी वारी अनुपस्थित।
वारी भी अनुपस्थित। तीन बार कक-रुक
कर आवाज लगाई गई, लेकिन कोई भी
उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अन्तर्गत
आदेश 9 R 8 CPC अदम हाजरी अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
बाद तामील तक्मील दाखिल दफतर हो।




01/4/25

उपखण्ड अधिकारी विज्ञाप
जिला जालावाड़

